भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1527

जिसका उत्तर 09 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

पोलावरम परियोजना के कारण जलमग्न होने वाली कृषि भूमि

1527. डा. सस्मित पात्रा:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पोलावरम परियोजना के पूर्ण हो जाने पर ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में कुल कितनी कृषि भूमि जलमग्न होने की संभावना है;

(ख) पोलावरम परियोजना के कारण जलमग्नता की स्थिति उत्पन्न होने पर इन राज्यों के किसानों की कृषि भूमि और आजीविका के नुकसान को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के प्रभावित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता पर दीर्घकालिक प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन या आकलन किया है; और

(घ) क्या सरकार उन किसानों को मुआवजा या पुनर्वास पैकेज प्रदान करने का विचार रखती है जिनकी ज़मीन पोलावरम परियोजना के कारण जलमग्न हो जाएगी और यदि हां, तो मुआवजा प्रदान करने के तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): आंध्र प्रदेश द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, पोलावरम सिंचाई परियोजना (पीआईपी) के पूरा होने के कारण ओडिशा और छत्तीसगढ़ में जलमग्नता क्रमशः 648.05 हेक्टेयर और 795.59 हेक्टेयर है, जो सबरी और सिलेरू नदियों की बाढ़ सीमा के भीतर आती है। इनमें से 102.16 हेक्टेयर भूमि ओडिशा में और 0.16 हेक्टेयर भूमि छत्तीसगढ़ में आरक्षित वन क्षेत्र में है। इसके अलावा, सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किए गए डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डीईएम) अध्ययन के अनुसार, पीआईपी के पूरा होने के कारण तेलंगाना में 80.84 हेक्टेयर भूमि जलमग्न हो जाएगी।

(ख) और (ग): पोलावरम सिंचाई परियोजना को आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश (अब छत्तीसगढ़) और ओडिशा राज्यों के बीच दिनांक 02.04.1980 को हुए अंतरराज्यीय समझौते के अनुसार और

गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण (जीडब्ल्यूडीटी) अवार्ड, 1980 के प्रावधानों के अनुसार शुरू किया जा रहा है और इनके अनुसार, ओडिशा अपने क्षेत्रों में आरएल+150 फीट से ऊपर की प्रभावित होने वाली भूमि और परिसंपत्तियों की रक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंधों का विकल्प चुन सकती है या परियोजना लागत पर +150 फीट से नीचे के समान पैटर्न पर प्रभावित होने वाले क्षेत्रों और परिसंपत्तियों के लिए मुआवजे (प्रभावित गांवों से विस्थापित लोगों का पुनर्वास और पुनर्स्थापन) के लिए विकल्प चुन सकती है। इसके अलावा, ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 30.20 किलोमीटर (सिलेरू नदी के किनारे 12 किलोमीटर और सबरी नदी के किनारे 18.20 किलोमीटर) की कुल लंबाई के लिए उपयुक्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंध के निर्माण का प्रावधान भी परियोजना में रखा गया है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) अध्ययनों के आधार पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा 25 अक्टूबर, 2005 को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की गई थी। मार्च 2009 में, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने परियोजना प्रस्तावक को निर्देश दिया कि वह तटबंध प्रस्ताव के संबंध में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ के उपयुक्त प्राधिकारियों से अनुरोध करके उचित कार्रवाई आरंभ करें और समिति को रिपोर्ट दें। आंध्र प्रदेश सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने दोनों राज्यों से ईआईए अधिसूचना, 2006 और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार अपने-अपने राज्यों के प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक सुनवाई आयोजित करने के लिए बार-बार अनुरोध किया है, हालांकि, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में अभी तक सार्वजनिक सुनवाई नहीं हुई है।

(घ): आंध्र प्रदेश में परियोजना प्रभावित परिवारों की पहचान की गई है और भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (एलए और आरआर) कार्यों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवज़ा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013) के प्रावधानों के अनुसार कार्यान्वित किया जा रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ही दिया जाएगा, अगर राज्य अपने क्षेत्रों में आरएल+150 फीट से ऊपर प्रभावित होने वाली भूमि और परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त जल निकासी व्यवस्था के साथ सुरक्षात्मक तटबंधों का विकल्प नहीं चुनते हैं।

*****